उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास

कमांक : 280/सचिवकैम्प/ग्राविवि/एनआरएलएम/एसपीएमयू/38/2013 दिनांक 09.09.2013

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

विषयः– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.2013 तक के बकाया दायित्वों का भुगतान/बकाया अग्रिमों के समायोजन/वसूली के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का अन्तरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) में होने के कारण एनआरएलएम की एम्पॉवर्ड कमेटी द्वारा निम्न निर्णय लिए गए है–

- दिनांक 01.04.2013 से एसजीएसवाई योजना बंद हो गई है।
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.2013 तक के बकाया दायित्वों का भुगतान एस.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत डी.आर.डी.ए. (DRDA) स्तर पर उपलब्ध राशि में से किया जायेगा।

(A) भारत सरकार ने निम्नानुसार दायित्वों को बकाया श्रेणी में माना गया है।

I. दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकृत जारी (प्रशासनिक और वित्तीय) किन्तु वितरित नही।
II. दिनांक 31.03.2013 को अथवा पूर्व जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां।
III. दिनांक 31.03.2013 तक बिल प्राप्त लेकिन भुगतान हेतु बकाया।

(B) भारत सरकार के उक्त निर्णयों के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते है–

- डीआरडीए द्वारा योजनान्तर्गत अनुदान हेतु बैकों को जारी राशि जिसका उपयोग दिनांक 31.07.2013 तक नही किया गया है वह राशि Idle मानी गयी है तथा उक्त राशि Idle मानी गयी है। उक्त धनराशि एसपीएमयू (SPMU), देहरादून को हस्तानान्तरण किया जाना है।
- डीआरडीए स्तर पर योजना के मुख्य बैंक खाते के अतिरिक्त अन्य बैंकों में उपलब्ध अनुदान राशि जो एस0आर0एफ0 खाते में हस्तान्तरण योग्य है, शीध्र हस्तान्तरित कराई जाए एवं शेष धनराशि योजना के मुख्य खाते में स्थानान्तरित कराई जाए।

- एस0जी0एस0वाई0 योजना में सम्मिलित हुई पूर्व में योजनाओं यथा ट्राईसैम, ड्वाकरा, आई0आर0डी0पी0 आदि की दिनांक 01.04.1999 में पूर्व में बकाया अग्रिमों का शीघ्र समायोजन/वसूली की जाए।
- एस0जी0एस0वाई0 योजना के प्रारम्भ दिनांक 01.04.1999 के पश्चात् के 31.03.2013 को बकाया अग्रिमों को शीघ्र समायोजन/वसूली की जाए।
- 31.03.2013 तक के देय बकाया दायित्वों का भुगतान योजना के दिशा–निर्देशों एवं भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दिनांक 15.08.2013 तक कराया जाना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 31.03.2013 तक पूर्व में जारी स्वीकृतियों का भुगतान योजना अन्तर्गत डीआरडीए में उपलब्ध राशि में से किया जाए।

अतः Committed Liability देय उपरांत डी.आर.डी.ए. में उपलब्ध एस0जी0एस0वाई0 में सम्मिलित (यथा ट्राईसैम, ड्वाकरा, आई0आर0डी0पी0 आदि) योजनाओं में उपलब्ध कुल समस्त धनराशि USRLM के खाता संख्या 6018000100001908 (IFSC–PUNB0601800) में हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।

(विनोद फोनिया)
सचिव/राज्य मिशन निदेशक
ग्राम्य विकास विभाग/राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई
सचिवालय, देहरादून।

पत्रांक /पी.एम.यू.आर.डी./तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकासए उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल।
3. एस.एल0बी.सी. समन्वयक, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अग्रणी बैंक अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि आप स्वयं अपने जनपद के समस्त शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक कर एस0जी0एस0वाई0 में सम्मिलित समस्त योजनाओं यथा ट्राईसैम, ड्वाकरा, आई0आर0डी0पी0 आदि के Sundry Accounts में जमा धनराशि को USRLM के खाता संख्या 6018000100001908 (IFSC – PUNB0601800) में हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।

(विनोद फोनिया)
सचिव/राज्य मिशन निदेशक
ग्राम्य विकास विभाग/राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई
सचिवालय, देहरादून।